यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** के माह 11/2013 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा** दिनांक 22.03.2019 से 27.03.2019 तक ..... **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।**

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के.डंग, सुपरवाइजर एवं **श्री खजान सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.11.2013 से 28.11.2013 तक **श्री आर.एस. नेगी (प्रथम), लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में** संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 09/2010 से 10/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 11/2013 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **वन्यजीव संरक्षण**

3. (ii) (अ) **<u>राजस्व का विवरणः</u>** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

<u>वर्ष</u>	<u>अर्जित राजस्व (रू लाख में)</u>
2015-16	शून्य
2016-17	
2017-18	
2018-19 (upto Dec 2018)	

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		स्थापना	**गैर स्थापना**
2015-16	-	-	181.00	175.00	6.00	5.00	-	6.00	1.00
2016-17	-	-	231.00	178.00	1.36	0.33	-	53.00	1.03
2017-18	-	-	206.00	206.00	0.51	0.51	-	0.00	0.00

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16					
2016-17		शून्य			
2017-18					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक(HOFF) - प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक प्रशासन/असूचना

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2015, 06/2016, 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु (व्यय) चयनित किया गया।

माह ---------- को विस्तृत जांच ( ) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित प्रस्तर

भाग- 2 (अ)

प्रस्तर:1 व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशनकी स्थापना न किया जाना एवं उक्त फ़ाउंडेशन द्वारा व्यय योग्य ₹4.14 करोड़ की राशि को राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया जाना।

भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 (X) में प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए एक व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसका मुख्य कार्य टाइगर रिजर्व का परिस्थितिकीय-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकास करना, स्थानीय सहयोग से परिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना एवं टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित रखने में सहायता प्रदान करना तथा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु परिसंपत्तियों का सृजन करना एवं उनको बनाए रखना इत्यादि हैं। अधिनियम के उक्त प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए 2007 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 अधिसूचित की गईं जिनमेंTiger Conservation Foundation, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होता है, के निधीयन के विषय में नियमावली के नियम संख्या 11 के अंतर्गत निर्देश दिया गया कि टूरिस्ट एंट्री फीस एवं Tiger Reserve में यात्रियों को प्रदत्त सेवाओं के बदले में प्राप्त समस्त आय (100%) फ़ाउंडेशन की निधि के रूप में व्यय हेतु जमा की जाएगी।

मुख्य वन संरक्षक- प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 अप्रैल 2015 को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अधीन 'राजाजी राष्ट्रीय पार्क' को 'राजाजी टाइगर रिजर्व' के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात अद्यतन तिथि तक भी राजाजी टाइगर रिजर्व हेतु टाइगर फ़ाउंडेशन की स्थापना नहीं की गयी है एवं टूरिस्टएंट्री फीस एवं Tiger Reserve में यात्रियों को प्रदत्त सेवाओं के बदले में प्राप्त समस्त आय ₹ 4.14 करोड़ को फ़ाउंडेशन के अस्तित्व के अभाव में राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया जा रहा है। उक्त स्थिति के कारण फ़ाउंडेशन के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमावली द्वारा तय किए गए बाघ संरक्षण के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर **मुख्य वन संरक्षक- प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना** ने उत्तर दिया कि फ़ाउंडेशन की स्थापना हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित है एवं यह भी कहा कि फ़ाउंडेशन के लिए निर्धारित कार्य फ़ाउंडेशन की स्थापना के द्वारा

पूरे कार्य किए जाएंगे। तथापि, फ़ाउंडेशन की स्थापना में 4 वर्षों का विलंब अत्यधिक है एवं इसे अविलंब स्थापित किया जाना चाहिए था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर:1 कार्यालय के नैनीताल से देहरादून स्थानांतरण के पश्चात भी मानवशक्ति के नैनीताल में रखने के कारण ₹ 23.32 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय।

देहरादून में वन विभाग के मुख्यालय'वन भवन' के निर्माण के पश्चात प्रमुख वन संरक्षक- वन्यजीव का कार्यालय अप्रैल 2017 में नैनीताल से देहरादून स्थित वन भवन में स्थानांतरित किया गया।

तथापि, मुख्य वन संरक्षक- प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना (जो कि उक्त कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी हैं) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त स्थानांतरण के समय समस्त अभिलेखों को देहरादून स्थानांतरित नहीं किया गया एवं नैनीताल स्थित अभिलेखों की सुरक्षा हेतु तीन नियमित कर्मचारी एवं एक स्वच्छक को वहीं तैनात रखा गया। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के मध्य उक्त कर्मचारियों पर वेतन इत्यादि के रूप में ₹ 23.32 लाख (विभागीय सूचना के अनुसार) का व्यय किया गया जबकि उक्त कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों के संरक्षण के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया गया क्योंकि उन्हें कार्य वितरण आदेश में कोई कार्य आवंटित ही नहीं किया गया था। समस्त अभिलेखों को देहरादून स्थानांतरित करके उक्त अनौचित्यपूर्ण व्यय से बचा जा सकता था।

इस विषय में इंगित करने पर मुख्य वन संरक्षक- प्रशासन, वन्यजीव संरक्षण एवं आसूचना ने बताया कि समस्त अभिलेखों को देहरादून कार्यालय में मंगा लिया जाएगा। प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
AIR-157/2013-14	-	01

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एस.के दत्त	मुख्य वन संरक्षक
2	श्री धनन्जय मोहन	मुख्य वन संरक्षक
3	श्री सुरेंद्र महेरा	मुख्य वन संरक्षक
4	श्री आर.के.मिश्र	मुख्य वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन वन्य जीव संरक्षण एवं असूचना देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)